जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 24.07.2022

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस बरामदः-

आज दिनांक 24.07.2022 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सादिक उर्फ चाकू पुत्र अख्तर पुत्र चून निवासी मौहल्ला सराय इलाही बख्स थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से अवैध 250 ग्राम चरस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा ग्राम बन्तीखेड़ा में हुई मुठभेड/लूट में वांछित 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 24.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम बन्तीखेडा में हुई मुठभेड में वांछित 02 अभियुक्तों को अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर एवं 01 छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विदित हो कि दिनांक 01/02.07.2022 को थाना बाबरी एवं एसओजी की टीम के साथ 03 लुटेरो से मुठभेड हुई थी, जिसमें अभियुक्त बन्टी, जोगेन्द्र उर्फ जोगी, दीपक को गिरफ्तार किया गया था। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू और संजीत मौके से फरार होने में कामयाब रहे थे। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना बाबरी निरन्तर प्रयासरत थी।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्त रिंकु व संजीत ने बताया कि साहब हम दोनो के साथ बन्टी ने मिलकर थाना ककरौली क्षेत्र के गांव ढांसरी मे दिनांक 06/07-05-22 की रात्रि मे एक मकान मे अलमारी से 03 जोडी सोने के कुन्डल तथा दूसरे मकान मे अलमारी से 03 जोडी सोने के कुन्डल चोरी कर ले गये थे। बन्टी बाहर खडा था हम दोनो घर के अनदर घूसे थे इसके अलावा जिला हापुड के थाना कपूर पुर के गांव कृपानगर उर्फ बीघेपुर से एक मकान के अन्दर से एक मोबाइल व एक जोडी कुन्डल दूसरे मकान से एक जोडी कुन्डल तीसरे मकान से एक मोबाइल फोन व चौथे मकान से एक जोडी कुन्डल व कुछ रुपये तथा गांव के पुजारी से कुछ रुपये छीन लिए थे। छीने गये मोबाइल हमने रास्ते मे खेतो मे फैक दिये थे तथा लूटे गये कुन्डलो को चलते फिरते लोगो को बेच दिया गया था एवं उनसे प्राप्त रुपयों को आपस मे बांट लिया था। जो हमसे खर्च हो गये है। अभि0 रिंकु ने बताया कि साहब दिनांक 16.07.2022 को नहर के पास गांव सोन्टा की ओर जाने वाले रास्ते पर समय करीब 05.00 बजे सुबह हमारी पुलिस से फायरिंग हो गयी थी। जिसमें मेरा भाई बन्टी मौके पर पकडा गया था। और मैं मौका देखकर भाग गया था इस तमन्चे से मैंने भी पुलिस के ऊपर फायर किया था जो आपने मुझसे बरामद किया है। आज घटना करने के लिए हम दोनो ही निकले थे कि आपने हमें पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.रिंकू पुत्र नरम सिंह निवासी ग्राम योगेन्द्र नगर थाना भोपा जनपद मु0नगर।

2.संजीत पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

2.अवैध 01 छुरा नाजायज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिंकूः-

1.मु0अ0सं0 122/22 धारा 394,411 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 130/22 धारा 307 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 134/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजीवः-

1.मु0अ0सं0 122/22 धारा 394/411 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 135/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शराब व यूरिया बरामदः-

आज दिनांक 24.07.2022 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अब्बुबकर उर्फ आदिल पुत्र भूरा निवासी मौहल्ला जन्नत कालोनी कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1 लीटर अपमिश्रित शराब एवं 500 ग्राम यूरिया बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।